



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092022-239015
CG-DL-E-23092022-239015

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4222]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 2022/भाद्र 30, 1944

No. 4222]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2022/BHADRA 30, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2022

का.आ. 4406(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि झारखंड राज्य के गढ़वा जिले में NH75 के कि.मी. 200.9 से कि.मी.219.6 (डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्क्विजीशन अफसर गढ़वा) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्क्विजीशन अफसर गढ़वा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

झारखंड राज्य के गढ़वा जिले में NH75 के कि.मी. 200.9 से कि.मी.219.6 (डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्वीजीशन अफसर गढ़वा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: झारखंड		जिले का नाम: गढ़वा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: गढ़वा					
गांव का नाम: बघौता					
1	473	सरकारी(गैरमजरुआ)	परती कदीम	0.0114200(एकर)	0.0046216
गांव का नाम: छतरपुर					
1	995	सरकारी(गैरमजरुआ)	परती कदीम	0.7980000(एकर)	0.3229462
गांव का नाम: हुर					
1	303	निजी(दोन ii)	रैयती	0.1652000(एकर)	0.0668555
2	614	निजी(धान II)	रैयती	0.0896000(एकर)	0.0362606
गांव का नाम: कल्यानपुर					
1	1187	निजी(धान ii)	रैयती	0.1270000(एकर)	0.0513962
2	1201	निजी(दोन ii)	रैयती	0.0200000(एकर)	0.0080939
3	1252	निजी(धान ii)	रैयती	0.0175000(एकर)	0.0070822
4	1394	निजी(टांड ii)	रैयती	0.0254000(एकर)	0.0102792
5	1395	निजी(टांड ii)	रैयती	0.0230000(एकर)	0.0093080
6	1436	निजी(मकान)	रैयती	0.0210000(एकर)	0.0084986
7	1968	निजी(टांड II)	रैयती	0.0675000(एकर)	0.0273169
गांव का नाम: करमाही					
1	234	सरकारी(गैरमजरुआ)	परती कदीम	0.3900000(एकर)	0.1578308
गांव का नाम: खजुरी					
1	162	सरकारी(टांड iii)	गैर् मजरुवा	0.2189000(एकर)	0.0885876
2	165	सरकारी(टांड iii)	गैर् मजरुवा	0.4827000(एकर)	0.1953460
3	829	सरकारी(टांड iii)	गैर् मजरुवा	0.0095000(एकर)	0.0038446
गांव का नाम: लापो					
1	641	सरकारी(गैरमजरुवा)	परती गडहा	1.5067000(एकर)	0.6097531
गांव का नाम: मेढ़नाखुर्द					
1	560	निजी(बकास्त)	टांड 2	0.2150000(एकर)	0.0870093
गांव का नाम: मुरका					

1	58	सरकारी(गैरमज्रुआ)	परती कदीम	0.0100000(एकर)	0.0040469
2	76	निजी(रैयती)	बकास्त	0.0645000(एकर)	0.0261028
3	84	निजी(रैयती)	बकास्त	0.0373000(एकर)	0.0150951
गांव का नाम: पिपरा					
1	67	निजी(रैयती)	बकास्त	0.2000000(एकर)	0.0809389
कुल				4.5002	1.8212

[फा. सं. NHAI/PIU/RNC/NH-75/Section-IV(LA)/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st September, 2022

S.O. 4406(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH75 in the stretch of land from Km. 200.9 to Km. 219.6 (District Land Officer Garhwa) in the district of GARHWA in the state of JHARKHAND, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, DISTRICT LAND ACQUISITION OFFICER GARHWA in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH75 in the stretch of land from Km. 200.9 to Km. 219.6 (District Land Officer Garhwa) in the district of GARHWA in the state of JHARKHAND.

State: JHARKHAND		District: GARHWA			
S. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Garhwa					
Village: Baghuta					
1	473	Government(Gair Majruwa)	Parti Kadim	0.0114200(Acre)	0.0046216
Village: Chhatarpur					
1	995	Government(Gair Majruwa)	Parti Kadim	0.7980000(Acre)	0.3229462
Village: Hur					
1	303	Private(Don ii)	Raiyti	0.1652000(Acre)	0.0668555
2	614	Private(Dhan ii)	Raiyti	0.0896000(Acre)	0.0362606

Village: Kalyanpur					
1	1187	Private(Dhan ii)	Raiyti	0.1270000(Acre)	0.0513962
2	1201	Private(Don ii)	Raiyti	0.0200000(Acre)	0.0080939
3	1252	Private(Dhan ii)	Raiyti	0.0175000(Acre)	0.0070822
4	1394	Private(Tand ii)	Raiyti	0.0254000(Acre)	0.0102792
5	1395	Private(Tand ii)	Raiyti	0.0230000(Acre)	0.0093080
6	1436	Private(Makan)	Raiyti	0.0210000(Acre)	0.0084986
7	1968	Private(Tand II)	Raiyti	0.0675000(Acre)	0.0273169
Village: Karmahi					
1	234	Government(Gair Majruwa)	Parti Kadim	0.3900000(Acre)	0.1578308
Village: Khajuri					
1	162	Government(Tand iii)	Gair Majruwa	0.2189000(Acre)	0.0885876
2	165	Government(Tand iii)	Gair Majruwa	0.4827000(Acre)	0.1953460
3	829	Government(Tand iii)	Gair Majruwa	0.0095000(Acre)	0.0038446
Village: Lapo					
1	641	Government(Gairmajruwa)	Parti Gadha	1.5067000(Acre)	0.6097531
Village: Merhna Khurd					
1	560	Private(Bakast)	Tand 2	0.2150000(Acre)	0.0870093
Village: Murka					
1	58	Government(Gairmajruwa)	Parti kadim	0.0100000(Acre)	0.0040469
2	76	Private(Raiyti)	Bakast	0.0645000(Acre)	0.0261028
3	84	Private(Raiyti)	Bakast	0.0373000(Acre)	0.0150951
Village: Pipra					
1	67	Private(Raiyti)	Bakast	0.2000000(Acre)	0.0809389
Total				4.5002	1.8212

[F. No. NHAI/PIU/RNC/NH-75/Section-IV(LA)/3A]

RAJESH GUPTA, Director